जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 7831 / 2025

दिनांकः22 फरवरी, 2025

शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिये हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिये सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बलिया के पत्र संख्याः 283 / स0सु0 / हेल्मेट / सीटबेल्ट / 2024–25, दिनांकः 22 फरवरी, 2025 के साथ संलग्न मुख्य सचिव, परिवहन अनुभाग–3, उ0प्र0शासन के पत्र संख्याः 06 / 2025 / 364 / तीस–3–2025, दिनांकः 11 फरवरी, 2025 (छायाप्रतियाँ संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालयों में **अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य** को **कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिये हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिये सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।**

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार एतद्द्वारा उपरोक्त सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों को बिना हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों को बिना सीट बेल्ट के प्रवेश को प्रतिबन्धित करते हुए शासन के उपरोक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एल पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. कुलानुशासक, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. संकायाध्यक्ष–छात्र कल्याण, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
4. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बलिया को उनके पत्र संख्याः **283 / स0सु0 / हेल्मेट / सीटबेल्ट / 2024–25, दिनांकः 22 फरवरी, 2025 के क्रम में सूचनार्थ।**
5. समन्वयक, एन0सी0सी0 / राष्ट्रीय सेवा योजना / रोवर्स रेंजर्स, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
7. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया,उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.inE-mail :- jncuballia@gmail.com

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), बलिया।

पत्रांक 283 / स0सु0 / हेल्मेट / सीटबेल्ट / 2024–25 दिनांक–22 फरवरी, 2025

सेवा में,

कुल सचिव,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया।

विषयः– कार्यालय आते समय दो पहिया वाहन चालकों उनके सहयात्रियों के लिए हेल्मेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–06 / 2025 / 364 / तीस–3–2025, दिनॉक 11.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आते समय दो पहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेल्मेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय परिसर तथा वाहन स्टैण्ड में दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेल्मेट तथा चार पहिया वाहन चालकों को बिना सीटबेल्ट के प्रवेश प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आदेश जारी करने का कष्ट करें। आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण कुमार राय)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), बलिया।

पृ0सं0– / स0सु0 / हेल्मेट / सीटबेल्ट / 2024–25 समदिनॉकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 कुलपति महोदय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय।
2. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), वाराणसी।
3. संभागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), बलिया।

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 06 /2025/364/तीस-3-2025

620

ARTO
कृपया आ० का०
करें। पत्र
जिलाधिकारी
बलिया
11/2/25

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2025

विषय कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मा0 श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, मा0 सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी, 2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह पाया गया कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना है।

2. उक्त बैठक में मा0 अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि :-

(1) उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।

(2) इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।

(3) सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके

3246.

श्री आलोक
[illegible] (सहयोगार्थ)
[illegible]

अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।

(4) सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।

(5) यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

(6) सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।

(7) नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।

(8) उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

भवदीय,

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 09-02-2025 14:40:52

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या- D6 /2025/364(1)/तीस-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

Signed by
Lakku Venkateshwarlu
Date: 10-02-2025 14:01:12

(एल० वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।